न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी
बइजलास–डॉ. अर्चना व्यास आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 81/2018

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| लिखमाराम पुत्र मंगलाराम<br>जाति–मेघवाल<br>निवासी–ननेऊ<br>तहसील–फलोदी<br>जिला–जोधपुर (राज.) | | 1. केवलराम पुत्र मंगलाराम<br>2. श्रवणराम पुत्र बनाराम<br>3. रूपाराम पुत्र बनाराम<br>4. भारत पुत्र बनाराम<br>5. गोमदराम पुत्र पेमाराम<br>6. खैराजराम पुत्र पेमाराम<br>7. मींरा पत्नि पेमाराम<br>जाति–मेघवाल<br>निवासी–ननेऊ<br>8. एस.बी.आई. बैंक शाखा–फलोदी<br>जरिये शाखा प्रबन्धक<br>9. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा–फलोदी<br>जरिये शाखा प्रबन्धक<br>10. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–ननेऊ<br>जरिये शाखा प्रबन्धक<br>11. तहसीलदार फलोदी<br>जिला–जोधपुर |

**वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम**

उपस्थित :–
श्री रेंवतसिंह पातावत वादी की तरफ से

## निर्णय

दिनांक 30/08/2022

वाद के संक्षेप में तथ्य है कि वादी तथा प्रतिवादीगण सं. 1 एक ता 7 सात की सहखातेदारी की भूमि खसरा सं. 98 रकबा 89 बीघा 1 बिस्वा ग्राम ननेऊ में स्थित है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 2 दो ता 4 चार क़ा 1/4 हिस्सा, और प्रतिवादीगण सं. 5 पांच ता 7 सात का 1/4 हिस्सा है वादी ने वाद पेश कर विभाजन की इस्तदुआ की। वादी ने साथ ही अपनी जाति भांभी के बजाय मेघवाल अंकित करवाने की भी इस्तदुआ चाही।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये डाक सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण सं. 2 दो ता 7 सात की तरफ से इकबाली जवाबदावा पेश किया प्रतिवादी सं. 1 एक एवं 8 आठ ता 11 ग्यारह का जवाबदावा बन्द किया वादी एवं प्रतिवादीगण रिकार्डेड सहखातेदार होने से विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 14–6–2018 को जारी कर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक फलोदी

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये डाक सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण सं. 2 दो ता 7 सात की तरफ से इकबाली जवाबदावा पेश किया प्रतिवादी सं. 1 एक एवं 8 आठ ता 11 ग्यारह का जवाबदावा बन्द किया वादी एवं प्रतिवादीगण रिकार्डेड सहखातेदार होने से विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 14–6–2018 को जारी कर तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार फलोदी से वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव 2 दो प्रति में अलग–अलग रंग दर्शाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाकर खेत खसरा सं. 98 में से 0.8093 हैक्टेयर एवं 2.1239 हैक्टेयर खसरा सं. 98/17 में से 0.5936 हैक्टेयर कुल 3.5268 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शा प्रतिवादी सं. 1 एक केवलराम के बंट में खसरा सं. 98 में से 2.9333 हैक्टैयर खसरा सं. 98/17 में से 0.5935 हैक्टेयर कुल 3.5268 हैक्टेयर प्रतिवादीगण सं. 2 दो ता 4 चार के बंट में खसरा सं. 98 में से 2.9334 हैक्टेयर खसरा सं. 98/17 में से 0.5935 हैक्टेयर कुल रकबा 3.5269 हैक्टेयर प्रतिवादीगण सं. 5 पांच ता 7 सात के बंट में खसरा सं. 98 में से 3.3650 हैक्टेयर खसरा सं. 98/17 में से 0.1619 हैक्टेयर कुल 3.5269 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 98/16 में से रकबा 0.1133 व खसरा संख्या 98 में से रकबा 0.1942 हैक्टर भूमि रास्ता उपयोग हेतु सभी खातेदारों के हिस्से में से रखी जाती है। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से.कम हो।

डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
फलोदी

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
( अज अदालत श्री सहायक कलक्टर फलौदी
बइजलास डॉ. अर्चना व्यास (आर. ए. एस.)

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| वादीनी<br>लिखमाराम पुत्र मंगलाराम<br>जाति–मेघवाल<br>निवासी–ननेऊ<br>तहसील–फलोदी<br>जिला–जोधपुर (राज.) | बनाम | प्रतिवादीगण<br>1. केवलराम पुत्र मंगलाराम<br>2. श्रवणराम पुत्र बनाराम<br>3. रूपाराम पुत्र बनाराम<br>4. भारत पुत्र बनाराम<br>5. गोमदराम पुत्र पेमाराम<br>6. खैराजराम पुत्र पेमाराम<br>7. मींरा पत्नि पेमाराम<br>जाति–मेघवाल<br>निवासी–ननेऊ<br>8. एस.बी.आई. बैंक शाखा–फलोदी<br>जरिये शाखा प्रबन्धक<br>9. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा–फलोदी<br>जरिये शाखा प्रबन्धक<br>10. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक<br>शाखा–ननेऊ<br>जरिये शाखा प्रबन्धक<br>11. तहसीलदार फलोदी<br>जिला–जोधपुर |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम**

**वाद संख्या 81/2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे हाजिर श्री रेंवतसिंह पातावत अधिवक्ता मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी स्वीकार किया जाकर खेत खसरा सं. 98 में से 0.8093 हैक्टेयर एवं 2.1239 हैक्टेयर खसरा सं. 98/17 में से 0.5936 हैक्टेयर कुल 3.5268 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शा प्रतिवादी सं. 1 एक केवलराम के बंट में खसरा सं. 98 में से 2.9333 हैक्टैयर खसरा सं. 98/17 में से 0.5935 हैक्टेयर कुल 3.5268 हैक्टेयर प्रतिवादीगण सं. 2 दो ता 4 चार के बंट में खसरा सं. 98 में से 2.9334 हैक्टेयर खसरा सं. 98/17 में से 0.5935 हैक्टेयर कुल रकबा 3.5269 हैक्टेयर प्रतिवादीगण सं. 5 पांच ता 7 सात के बंट में खसरा सं. 98 में से 3.3650 हैक्टेयर खसरा सं. 98/17 में से 0.1619 हैक्टेयर कुल 3.5269 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 98/16 में से रकबा 0.1133 व खसरा संख्या 98 में से रकबा 0.1942 हैक्टर भूमि रास्ता उपयोग हेतु सभी खातेदारों के हिस्से में से रखी जाती है। विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा।

मुतालिक बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व भाहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।

वसूल याबी तक

बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 08 सन् 2022 को जारी की गई।

दस्तखत
आहेदा
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

मोहर

| मुदई | रुपया | पैसे | मुदायला | रुपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |